संख्या-249/2020/4108/41-2020-150सा0/2016

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 02 नवम्बर, 2020**

विषयः-विश्व बैंक सहायतित् उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-148/प्रो-पुअर परि0/2020 दिनांक 23 सितम्बर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्व बैंक सहायतित् उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के चयनित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन विकास कार्यों के साथ ही स्थानीय रोजगार में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नयन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विश्व बैंक सहायतित् उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना संचालित की जा रही है।

3- प्रश्नगत परियोजना हेतु आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-19/07/2013-एफबी-।। दिनाँक 12-08-2013 के अनुसार भारत सरकार व विश्व बैंक से उक्त परियोजना के स्वीकृत होने के उपरान्त इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक से परियोजना की कुल लागत 300 मिलियन यू.एस. डालर का 70 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक से लोन प्राप्त करके तथा अवशेष 30 प्रतिशत धनराशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2784/41-2013-99यो0/13 दिनाँक 11-10-2013 के माध्यम से स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गई थी।

4- परियोजना की संरचना, संचालन एवं अनुश्रवण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-75/3054/41-14-99यो0/2013 दिनाँक 13-12-2014 के माध्यम से संस्थागत ढाँचा निरूपित किया गया है। इसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में इम्पावर्ड कमेटी, प्रमुख सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी तथा महानिदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में निदेशालय स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट (एस0पी0सी0यू0), क्षेत्रीय स्तरों पर टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टी0एस0यू0) तथा परियोजना की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 13-12-2014 के माध्यम से प्रश्नगत परियोजना मे आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के अतिरिक्त बौद्ध परिपथ को भी सम्मिलित किया गया था। दिनाँक 20-04-2017 को मा० मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभागीय प्रस्तुतीकरण में यह निर्देश दिये गये कि परियोजना के विषय में वित्त विभाग की सहमति पुनः प्राप्त कर ली जाये जिसके क्रम में वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के सीमित "फिस्कल स्पेस" के दृष्टिगत प्रश्नगत परियोजना को वर्तमान स्थिति में जहाँ तक कार्यान्वयन किया जा चुका है उस स्तर पर योजना को सीमित करते हुये समस्त अग्रतर कार्यवाही किये जाने का परामर्श दिया गया। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त परामर्श के क्रम में पर्यटन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-622/41-2017-150सा0/16 दिनाँक 15-06-2017 निर्गत किया गया।

6- चूँकि तत्समय परियोजना में आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्यों पर कार्यवाही संचालित एवं प्रक्रियाधीन थी और बौद्ध सर्किट से सम्बन्धित कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किये गये थे। अतः उपरोक्त शासनादेश संख्या-622/41-2017-150सा0/16 दिनाँक 15-06-2017 मं दिये गये निर्देशानुसार बौद्ध सर्किट से सम्बन्धित क्षेत्रों को छोड़ते हुये मात्र आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में प्रक्रियाधीन एवं संचालित कार्यों की सीमा तक परियोजना की कुल लागत को कम करते हुये पूर्व स्वीकृत 300 मिलियन यू.एस. डालर के स्थान पर मात्र 57.00 मिलियन यू.एस. डालर की संशोधित प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पी.पी.आर.) तैयार कर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग की स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष दिनाँक 26-07-2017 को प्रस्तुत किया गया। स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा उक्त संशोधित प्रस्ताव (57.14 मिलियन यू.एस. डालर) पर सहमति व्यक्त करते हुये परियोजना हेतु विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ निगोशियेशन की कार्यवाही दिनाँक 31-12-2017 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

7- आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनाँक 15-11-2017 को नई दिल्ली स्थित विश्व बैंक के कार्यालय में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग, विश्व बैंक एवं प्रदेश सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि (महानिदेशक पर्यटन/मुख्य परियोजना निदेशक) के द्वारा न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव/लीगल सेल सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि श्री दीपक सिंह, वित्त नियंत्रक के साथ फाईनल प्रोजेक्ट निगोशिएशन किया गया जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 371.43 करोड़ (57.14 मिलियन यू०एस० डालर) पर सहमति प्रदान की गई।

8- उपरोक्त निगोशिएशन के फलस्वरूप दिनाँक 28-12-2017 को आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव (एम.आई.) के द्वारा विश्व बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर के साथ लोन ऐग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित किया गया तथा प्रदेश सरकार की ओर से प्राधिकृत महानिदेशक पर्यटन/मुख्य परियोजना निदेशक के द्वारा विश्व बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर के साथ प्रोजेक्ट ऐग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित किया गया।

9- उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किये गये थे जिन्हें मा0 सर्वोच्च न्यायालय/ टी.टी.जेड. से अनुमति/ भूमि प्राप्त न हो पाने अथवा अन्य कारणों से नहीं कराया जा सकाः-

क- आगरा मे ताज पश्चिमी गेट पार्किंग एवं विजिटर सेन्टर-रू0 107.00 करोड़

ख- आगरा में ताज पूर्वी गेट के निकट ताजखेमा का कार्य-रू0 15.00 करोड़

ग- मथुरा में 11 कुण्डों का जीर्णोद्धार का कार्य-रू0 35.00 करोड़

घ- फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ का कार्य-रू0 10.00 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्त इंगित कार्यों को न कराये जा सकने के फलस्वरूप परियोजना लागत में कुल गैप की धनराशि रू0 167.00 करोड़ के सापेक्ष बौद्ध परिपथ के सारनाथ एवं कुशीनगर में निम्नलिखित विवरण के अनुसार नये कार्य चिन्हित किये गये हैं:-

9-क) सारनाथ - लगभग रू0 130.00 करोड़

1.सारनाथ के समस्त आन्तरिक मार्गा पर स्ट्रीट पेडेस्ट्रियन/प्रोमिनाड एवं स्ट्रीट लाईटिंग का कार्य।

2. विद्युत के ओवरहेड तारों को अण्डरग्राउण्ड केबलिंग कराये जाने का कार्य।

3. विजिटर सेन्टर/पर्यटक सूचना केन्द्र एवं पर्यटक पुलिस थाना का कार्य।

4. साईनेजेज एवं इण्टरप्रेटेशन वाल का कार्य।

5. आर्टीजन सेन्टर (एक्सपोजीशन एण्ड सेल) का कार्य।

6. वेन्डिंग जोन एवं डिजाईनर वेन्डिंग कार्ट्स का कार्य।

7. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट का कार्य।

8. चौराहों एवं तिराहों के सौन्दर्यीकरण का कार्य।

9. बुद्धा थीम पार्क में आध्यात्मिक/बौद्ध पुस्तकालय का कार्य।

10. मृगदाव राही पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण का कार्य।

11. लास्टमाईल कनेक्टिविटी का कार्य।

12. सारनाथ में सी.सी.टी.वी., वाई-फाई एवं एल.ई.डी. स्क्रीन का कार्य।

13. दिव्यांगजनों एवं वृद्ध पर्यटकों के सुविधार्थ गोल्फकार्ट की व्यवस्था।

14. विपश्यना ध्यान केन्द्र का निर्माण।

15. चौखण्डी के पास सर्फेस पार्किंग का कार्य।

16. सारनाथ की आन्तरिक गलियों (चियाऊपुर/बरनीपुर/ग्वारूपुर/खजुरी) का सुधार।

17. अन्य आवश्यक पर्यटक सुविधायें।

9- ख) कुशीनगर- लगभग रू0 37.00 करोड़

1. विपश्यना ध्यान केन्द्र का निर्माण।

2. राजकीय बौद्ध संग्रहालय का जीर्णोद्धार।

3. राही पथिक निवास के उच्चीकरण का कार्य।

4. फूड प्लाजा, टायलेट ब्लाक एवं पार्किंग के उच्चीकरण का कार्य।

5. ग्राम मधुरिया के पास कुकुत्था रिवरफ्रन्ट डेवलेपमेन्ट का कार्य।

6. पर्यटक सूचना केन्द्र/विजिटर सेन्टर का कार्य।

7. रामाभार स्तूप के पास हिरण्यवती नदी पर फुट-ओवर ब्रिज का निर्माण।

8. अन्य आवश्यक पर्यटक सुविधायें।

10- सारनाथ में उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने हेतु शासनादेश दिनाँक 13-12-2014 के द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण को एवं कुशीनगर में प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने हेतु कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कसाडा) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है। किन्तु कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास उपरोक्त योजनायें क्रियान्वित करने हेतु विश्व बैंक की अपेक्षानुसार पर्याप्त तकनीकी एवं वित्त अधिकारियों/स्टाफ आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस तथ्य के दृष्टिगत कार्यहित में कुशीनगर के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये कसाडा के स्थान पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित/अधिकृत कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक सहायतित् उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(क) उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना कुल 57.14 मिलियन यू0एस0 डालर (रू0 371.43 करोड़) से संचालित की जायेगी जिसमें 70 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त प्रस्तर संख्या-9 में वर्णित आगरा एवं मथुरा के कार्यो (कुल रू0 167.00 करोड़) को ड्रॉप किया जाना एवं उसके स्थान पर प्रस्तर संख्या-9क एवं 9ख में वर्णित सारनाथ एवं कुशीनगर में प्रस्तावित कार्यो को कराया जायेगा।

(ग) उपरोक्त प्रस्तर संख्या-10 में वर्णित सारनाथ के कार्यो को वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा तथा कुशीनगर के कार्यो को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कराये जाने हेतु तदनुसार उन्हें कार्यदायी संस्था नामित/अधिकृत किया गया है।

(घ) प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-249/2020/4108/41-2020-150सा0/2016 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4 अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
न्याय विभाग/वित्त विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/वाह्य सहायतित् विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6- सुश्री स्टेफानिया अबाकेरली, टी.टी.एल., विश्व बैंक वाशिंगटन, डी.सी. यू.एस.ए.।
7- श्री रघु केसवन, को-टी.टी.एल., विश्व बैंक कार्यालय, नई दिल्ली।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in